संख्या-27/2023/979ई-2/तेरह-2023-1533606

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक: 13 जून, 2023

विषय:-मेसर्स आर.सी.पी. डिस्टिलरीज (इण्डिया) प्रा.लि., ग्राम-खिवाई, तहसील सरधना, जनपद मेरठ को स्वीकृत 50 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 165 लाख लीटर वार्षिक क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी के स्थान पर 80 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 280 लाख लीटर वार्षिक क्षमता की अनाज पर आधारित ओद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-04/दो-प्रा.डी.-236/आर.सी.पी., दिनांक 06-04-2023 एवं पत्र संख्या:जी-37/दो-प्रा.डी.-236/आर.सी.पी., दिनांक 25-05-2023 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 09-06-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:973ई-2/तेरह-2023-1533606, दिनांक 12-06-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06-04-2023 एवं 25-05-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 10-12-2021 के क्रम में मेसर्स आर.सी.पी. डिस्टिलरीज (इण्डिया) प्रा. लि., ग्राम खिवाई, तहसील सरधना, जनपद मेरठ को स्वीकृत किये गये 50 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 330 कार्यदिवस के आधार पर 165 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत 145 लाख लीटर वार्षिक अब्सोल्यूट अल्कोहल/एथनाल एवं 20 लाख लीटर वार्षिक ई.एन.ए. का उत्पादन एवं विक्रय किये जाने की अनुमति को संशोधित करते हुये 80 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 280 लाख लीटर क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत 240 लाख लीटर वार्षिक अब्सोल्यूट अल्कोहल/एथनाल एवं 40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लाख लीटर वार्षिक ई.एन.ए. का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) इकाई द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वनएवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्वप्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3) ग्रेन से एथनाल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्यपदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा रिसीवर एवं एथनॉल संचय टैकों के पश्चात मास फ्लोमीटर एवं एथनाल संचय टैंकों पर राडार बेस्ड लेबिल ट्रान्समीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(5) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग पैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in